न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, बीदासर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी : – श्योराम वर्मा आर. ए. एस.

न. मु. 114/2019

1 खेताराम जाखड़ पुत्र अर्जूनराम जाति जाट जाखड़ निवासी वार्ड न. 6, तेहनदेसर तहसील बीदासर जिला चूरू

वादी

बनाम

1 मालूसिंह पुत्र भौमसिंह जाति राजपूत निवासी तेहनेदसर तह. बीदासर जिला चूरू
2 दूलसिंह पुत्र भौमसिंह जाति राजपूत निवासी तेहनेदसर तह. बीदासर जिला चूरू
3 खींवसिंह पुत्र भौमसिंह जाति राजपूत निवासी तेहनेदसर तह. बीदासर जिला चूरू
4 उच्छब कंवर पत्नी कुंभसिंह जाति राजपूत निवासी तेहनेदसर तह. बीदासर जिला चूरू
5 अनोपसिंह पुत्र कुंभसिंह जाति राजपूत निवासी तेहनेदसर तह. बीदासर जिला चूरू
6 करणीसिंह पुत्र कुंभसिंह जाति राजपूत निवासी तेहनेदसर तह. बीदासर जिला चूरू
7 डूंगरसिंह पुत्र कुंभसिंह जाति राजपूत निवासी तेहनेदसर तह. बीदासर जिला चूरू
8 दलीपसिंह पुत्र कुंभसिंह जाति राजपूत निवासी तेहनेदसर तह. बीदासर जिला चूरू
9 प्रेमसिंह पुत्र कुंभसिंह जाति राजपूत निवासी तेहनेदसर तहसील बीदासर जिला चूरू
10 भंवरसिंह पुत्र कुंभसिंह जाति राजपूत निवासी तेहनेदसर तहसील बीदासर जिला चूरू
11 रिछपालसिंह पुत्र कुंभसिह जाति राजपूत निवासी तेहनेदसर तह. बीदासर जिला चूरू
12 श्रवणसिंह पुत्र कुंभसिंह जाति राजपूत निवासी तेहनेदसर तहसील बीदासर जिला चूरू
13 सायरसिंह पुत्र कुंभसिंह जाति राजपूत निवासी तेहनेदसर तहसील बीदासर जिला चूरू
14 इन्द्रजीतसिंह पुत्र कानसिंह जाति राजपूत निवासी तेहनेदसर तह. बीदासर जिला चूरू
15 पूर्णसिंह पुत्र कानसिंह जाति राजपूत निवासी तेहनेदसर तहसील बीदासर जिला चूरू
16 राजूसिंह पुत्र कानसिंह जाति राजपूत निवासी तेहनेदसर तहसील बीदासर जिला चूरू
17 सुप्यार कंवर पत्नी समुन्द्रसिंह जाति राजपूत नि. तेहनेदसर तह. बीदासर जिला चूरू
18 विक्रमसिंह पुत्र समुन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी तेहनेदसर तह. बीदासर जिला चूरू
19 महेन्द्रसिंह पुत्र समुन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी तेहनेदसर तह. बीदासर जिला चूरू
20 अशोकसिंह पुत्र समुन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी तेहनेदसर तह. बीदासर जिला चूरू
21 लिछमा कंवर पुत्री समुन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी तेहनेदसर तह. बीदासर चूरू
22 रिंकीसिंह पुत्री समुन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी तेहनेदसर तह. बीदासर जिला चूरू
23 पिंकीसिंह पुत्री समुन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी तेहनेदसर तह. बीदासर जिला चूरू
24 श्रवण कंवर पत्नी भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी तेहनेदसर तह. बीदासर जिला चूरू
25 कालूसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी तेहनेदसर तहसील बीदासर जिला चूरू
26 छेलूसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी तेहनेदसर तहसील बीदासर जिला चूरू
27 राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार महोदय, तहसील कार्यालय बीदासर (चूरू)

प्रतिवादीगण

<u>"राजस्व वाद कृषि भूमि के खातेदारी विभाजन एवं चिर निषेधाज्ञा डिक्री प्राप्ती हेतू हर प्रकार के लिखित एवं मौखिक प्रमाणों के आधार पर धारा 53, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955"</u>

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

उपस्थित :—
1 वादी — मोहम्मद शाहिद एडवोकेट
2 प्रतिवादी स. 27— पेरोकार राज.

निर्णय

दिनांक :— 24/3/2021

प्रकरण के सक्षिंप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 26 के सयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त के खेत खसरा नम्बर 43/4 तादादी 2.9845 हैक्टेयर (11—16बीघा) वाके रोही आईदानपुरा तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित चला आ रहा है जिसमें वादी खेताराम का 15/118 हिस्सा अविभाजित संयुक्त खातेदारी में चल रहा है जिसमें वादी का हिस्सा दक्षिणी पूर्वी तरफ का खरीद के वक्त से कब्जा काश्त में है। वादी एवं प्रतिवादीगण का खान पान, लेन देन, रहन सहन सब अलग अलग है। वादी एवं प्रतिवादीगण 1 ता 26 का अपनी हिस्सा भूमि का मौखिक विभाजन आपसी तौर पर किया हुआ है अलग अलग सीवें कायम है। परन्तु वादगत खेत की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में संयुक्त रूप से दर्ज चली आ रही है। जिसके कारण वादी को कई प्रकार की कानुनी आपत्तियों का सामना करना पड़ता है तथा प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 26 सींव को लेकर विवाद करते रहते है जिसके कारण वादी अपने हिस्से पांती व कब्जा काश्त के वादगत खेत में अपनी हिस्सा भूमि की खातेदारी का विधिवत आधार पर विभाजन करवा कर राजस्व रेकार्ड में खातेदारी अपने नाम से पृथक दर्ज करवा कर लगान का विभाजन करवाना चाहता है जिसका वादी कानूनी अधिकारी है। वादी ने प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 26 से कई बार आपसी तौर पर वादगत खेत की खातेदारी का विधिवत विभाजन करवाने के लिए कहा लेकिन वोह टालमटोल करते रहे। प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 3 वादगत खेत की सींव को काट कर समाप्त कर देते है तथा कई बार आकर ऐलानिया धमकीया देते है कि वादगत खेत में तुम्हारा जो हिस्सा है उस पर हम जबरन कब्जा करेगें, प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 26 ने वादी के खिलाफ एक नाजायज गिरोह बना लिया है। वादी ने प्रतिवादीगण से अन्तिम बार दिनांक 5—11—2019 को निवेदन किया कि वादगत खेत की खातेदारी का विधिवत विभाजन करवा देवें तथा वादी के कब्जा काश्त में दखत अन्दाजी नहीं करें का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 26 ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये तथा वादी को ऐलानिया धमकी दी की हम वादगत भूमि में तुम्हारे हिस्सा पर जबरन कब्जा करेगे तथा वादगत खेत में पक्का निर्माण करके रहेगे। वादगत खेतों का जब तक विधिवत विभाजन नहीं हो जाता है जब तब प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक इन्च पर कब्जा काश्त माना जाता है वादगत खेत का बिना विधिवत विभाजन कराये किसी भी सहखातेदार को वादगत खेत की खातेदारी शामिलाती होने के कारण भूमि पर मिलने वाले सरकारी फायदों को उठाने में परेशानीयों का सामना करना पड़ता है।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सख्या 1 ता 26 विधिवत तामील के बावजूद हाजिर अदालत नहीं होने के कारण जवाबदेही बन्द की गई। प्रतिवादी सख्या 27 की और से पैरोकार राज ने प्रकरण में अपने जवाब में राज हित निहित नही होना अंकित किया। वादी की और से अपनी साक्ष्य में गवाह पी. डब्ल्यू—1 वादी स्वयं खेताराम ने सशपथ बयान प्रस्तुत किये व दस्तावेज प्रदर्श—1 जमाबन्दी, प्रदर्श 2 नामान्तरकरण स. 101, प्रदर्श —3 विक्रय पत्र दिनांक 21/4/1998 व प्रदर्श—4 विक्रय पत्र दिनांक 01/12/2010 प्रस्तुत कर प्रदर्शित कराये।

लगातार 3

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

आदेश

बहस उभय पक्षकारान् के विद्धान अधिवक्ता की सुनी गई एवं पत्रावली का भलीभांती अवलोकन किया गया। प्रारम्भिक डिक्री आदेश से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव, मौका का नजरी नक्शा, बहस पक्षकारान् के आधार पर वादी का वाद विभाजन का इस प्रकार स्वीकार कर अन्तिम रूप से डिक्री जारी किया जाता है कि वादगत खेत खसरा नम्बर 43/4 तादादी 2.9845 हैक्टेयर वाके रोही आईदानपुरा मे वादी का 15/118 हिस्सा (1–10बीघा) 0.3794 हैक्टेयर खसरे की दक्षिणी पूर्वी कोने का एवं प्रतिवादी स. 1 ता 26 के बाकी खसरा भूमि मुताबिक खातेदारी हिस्सा संयुक्त कब्जा काश्त अनुसार खातेदारी का अलग अलग विभाजन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे। विभाजन प्रस्ताव प्रति अन्तिम डिक्री के साथ रहे अन्तिम डिक्री की पालना हेतू तहसीलदार बीदासर लिखा जावे। खर्चा मुकदमा पक्षकार अपना अपना वहन करें। इस प्रकार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24/03/2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

श्योराम वर्मा
उपखण्ड अधिकारी बीदासर

Scanned by CamScanner